न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2009/25 दायर दिनांक 04.03.2009

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 जगदीशप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. मांगीलाल पुत्र किशनाराम के वारिस 1/1 श्रीभगवान पुत्र मांगीलाल 1/2 सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल 1/3 घनश्याम पुत्र मांगीलाल 1/4 कोशल्या देवी पत्नी 2. हनुमानप्रसाद पुत्र स्व0 हरदीनराम 3. नोरत्न शर्मा पुत्र स्व0 भंवरलाल 4. मुरलीमनोहर पुत्र स्व0 भंवरलाल 5. बसन्ती देवी पत्नी स्व0 भंवरलाल 6. रामनिवास पुत्र स्व0 भंवरलाल 7. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 भंवरलाल 8. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भंवरलाल 9. दामोदर प्रसाद पुत्र स्व0 भंवरलाल 10. भागीरथी देवी पत्नी स्व0 भंवरलाल 11. सम्पतलाल पुत्र राधाकिशन 12. रामाअवतार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद 13. भंवरी देवी पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर 14. प्रतिवादी सं0 14 द्वारका प्रसाद के कायम मुकामान 14/1 बजरंगलाल पुत्र स्व द्वारका प्रसाद 14/2 झुमरमल पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद 14/3 देवरतन पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद 14/4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद 14/5 परसाराम पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद 14/6 रामेश्वरी पत्नी स्व0 द्वारका प्रसाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 15. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 कमल किशोर 16. मदनलाल पुत्र स्व0 कमल किशोर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण कोलिया तह0 डीडवाना 17. मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मद इस्माईल जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 18. तहसीलदार डीडवाना 19. हरिराम पुत्र डालाराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना 20. कान्ता पुत्री स्व0 भंवरलाल 21. मैना पुत्री स्व0 भंवरलाल 22. लीला पुत्री स्व0 भंवरलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीयान खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2009/25
दायर दिनांक 04.03.2009, निर्णय दिनांक 10.07.2017
रामेश्वरलाल बनाम मांगीलाल, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदार, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थित– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक **10.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 से 16 स्व0 नूनाराम के वारिसान है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है।

वाके सरहद खरेश में स्थित खसरा सं0 141 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 142 रकबा 06 बिस्वा गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 143 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 471 रकबा 40 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 472 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा व खसरा सं0 490 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 09 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 28 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 29 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 128 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 129 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 153 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 155 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 420 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 473 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 27 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा स्थित है।

पक्षकारान के मध्य निम्न रूपेण बंटवारा किया हुआ है जो इस प्रकार है:–

वादी व प्रतिवादी सं0 12 व 13 रामेश्वरलाल, रामावतार व भंवरीदेवी के बंट की भूमि :– खसरा सं0 471 रकबा 40 बीघा 16 बिस्वा में से रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा उत्तर दिशा की, खसरा सं0 143 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा में से रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा उत्तर दिशा की व खसरा सं0 28 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 39 बीघा वाके सरहद खरेश में स्थित है।

प्रतिवादी सं0 01 मांगीलाल के बंट की भूमि :– खसरा सं0 29 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, खसरा सं0 153 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, खसरा सं0 155 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बीघा 16 बिस्वा दक्षिण दिशा की, खसरा सं0 472 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, खसरा सं0 490 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, खसरा सं0 141 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा में से 19 बिस्वा पूर्वी दिशा व खसरा सं0 143 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि में से 06 बीघा 11 बिस्वा दक्षिण दिशा की भूमि कुल रकबा 79 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद खरेश में बंट में आई हुई है।

प्रतिवादी सं0 02, 03, 04 व 05 के बंट की भूमि :– खसरा सं0 473 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, खसरा सं0 129 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा में से पश्चिमी दिशा में 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 420 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 12 बिस्वा दक्षिण दिशा की भूमि कुल रकबा 97 बीघा 12 बिस्वा की बंट की भूमि वाके सरहद खरेश में स्थित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 6, 7, 8, 9 व 10 के बंट की भूमियां :– खसरा सं0 471 रकबा 40 बीघा 16 बिस्वा में से 24 बीघा 05 बिस्वा दक्षिण दिशा की, खसरा सं0 141 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा में से 01 बीघा पश्चिमी दिशा की, खसरा सं0 155 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा उत्तर दिशा की कुल रकबा 31 बीघा 01 बिस्वा भूमि सरहद खरेश बंट में आई हुई है।

प्रतिवादी सं0 11 सम्पतलाल के बंट की भूमिया:– खसरा सं0 09 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि, खसरा सं0 27 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा में से पूर्व दिशा की रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 129 रकबा 33 बीघा 18 बिस्वा में से रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व दिशा की खसरा सं0 420 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 12 बिस्वा उत्तर दिशा की कुल रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके सरहद खरेश की बंट में आई हुई है।

प्रतिवादी सं0 17 की खरीद सुदा भूमि :– खसरा सं0 27 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा भूमि में से रकबा 09 बीघा भूमि वाके सरहद खरेश में अवस्थित है। यह इनकी खरीद शुदा भमि है।

प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5 व 11 के सिरोली भूमि :– खसरा सं0 128 रकबा 05 बिस्वा गैर मुनकिन बेरा खरेश बंट में आई हुई है।

प्रतिवादी सं0 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12 व 13 के सिरोली भूमि :– खसरा सं0 142 रकबा 06 बिस्वा गै0मु0 बेरा सरहद खरेश बंट में आई हुई है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमियां पुश्तेनी है जिसका बंटवारा होकर बंटवारे के अनुरूप काश्त करते आ रहे है परन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती से खातेदारी माफिक बंट दर्ज नहीं हुई है बंट के अनुसार खातेदारी दर्ज करवाने के लिए यह घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है तथा विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

खसरा सं0 127 रकबा 15 बीघा वाके सरहद ग्राम कोलिया में प्रतिवादी सं0 14/1 से 14/6 तक 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 19 का 1/2 हिस्सा, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 134 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा व खसरा सं0 204 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 14/1 से 14/6 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 15 व 16 का 1/2 हिस्सा रहेगा। जिन पर बंट व हिस्से अनुरूप काबिज काश्त हैं।

प्रार्थना वादी है कि ग्राम खरेश व कोलिया के वर्णित खेताय का वाद के अनुसार घोषित कर विधिवत बंटवारा किया जावें।

राजस्व लोक अदालत: न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खरेश में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान उपरोक्त अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान्, वादी के वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 27, 28, 29, 09, 141, 142, 143, 128, 129, 471, 472, 473, 420, 490, 153 व 155 तथा वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 127, 134 व 204 का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" व अनुसूची "ब" के अनुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" व "ब" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 127 में से वादी रामेश्वरलाल व प्रतिवादी सं0 12 रामवतार व प्रतिवादी सं0 13 भंवरीदेवी, तथा सरहद कोलिया के खसरा सं0 134 व 204 में से प्रतिवादी सं0 06 रामनिवास, प्रतिवादी सं0 07 श्यामसुन्दर, प्रतिवादी सं0 08 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं0 09 दामोदर प्रसाद, प्रतिवादी सं0 10 भगवतीदेवी उर्फ भागीरथीदेवी, प्रतिवादी सं0 20 ता 22 कान्ता, मैना व लीला तथा वादी रामेश्वरलाल व प्रतिवादी सं0 12 व 13 रामवतार व भंवरीदेवी का नाम हटाया जाता है। वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 27 में से प्रतिवादी 02 हडमान, प्रतिवादी सं0 03, 04 व 05 के पिता/पति स्व0 भंवरलाल खोले बदरीनारायण के नाम हटाये जाते है तथा खरेश के खसरा सं0 141, 142, 143, 471, 472 व 490 में प्रतिवादी सं0 14 स्व0 द्वारका प्रसाद व प्रतिवादी सं0 15 व 16 श्यामसुन्दर व मदनलाल के नाम हटाये जाते है। प्रतिवादी सं0 17 मोहम्मद हुसैन का सम्पूर्ण हिस्सा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा डीडवाना के रहन रहेगा तथा प्रतिवादी सं0 11 सम्पतलाल का सम्पूर्ण हिस्सा मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना के रहन रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त करावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **10.07.2017** को कोर्ट कैम्प–खरेश में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2009/25

दायर दिनांक 04.03.2009

वादी		प्रतिवादीगण
रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. मांगीलाल पुत्र किशनाराम के वारिस 1/1 श्रीभगवान पुत्र मांगीलाल 1/2 सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल 1/3 घनश्याम पुत्र मांगीलाल 1/4 कोशल्या देवी पत्नी वगैराह समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला नागौर

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 10.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद खरेश के खसरा सं0 27, 28, 29, 09, 141, 142, 143, 128, 129, 471, 472, 473, 420, 490, 153 व 155 तथा वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 127, 134 व 204 का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" व अनुसूची "ब" के अनुसार स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" व "ब" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 127 में से वादी रामेश्वरलाल व प्रतिवादी सं0 12 रामवतार व प्रतिवादी सं0 13 भंवरीदेवी, तथा सरहद कोलिया के खसरा सं0 134 व 204 में से प्रतिवादी सं0 06 रामनिवास, प्रतिवादी सं0 07 श्यामसुन्दर, प्रतिवादी सं0 08 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं0 09 दामोदर प्रसाद, प्रतिवादी सं0 10 भगवतीदेवी उर्फ भागीरथीदेवी, प्रतिवादी सं0 20 ता 22 कान्ता, मैना व लीला तथा वादी रामेश्वरलाल व प्रतिवादी सं0 12 व 13 रामवतार व भंवरीदेवी का नाम हटाया जाता है। वाके सरहद खरेश के खसरा सं0 27 में से प्रतिवादी 02 हडमान, प्रतिवादी सं0 03, 04 व 05 के पिता/पति स्व0 भंवरलाल खोले बदरीनारायण के नाम हटाये जाते है तथा खरेश के खसरा सं0 141, 142, 143, 471, 472 व 490 में प्रतिवादी सं0 14 स्व0 द्वारका प्रसाद व प्रतिवादी सं0 15 व 16 श्यामसुन्दर व मदनलाल के नाम हटाये जाते है। प्रतिवादी सं0 17 मोहम्मद हुसैन का सम्पूर्ण हिस्सा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा डीडवाना के रहन रहेगा तथा प्रतिवादी सं0 11 सम्पतलाल का सम्पूर्ण हिस्सा मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना के रहन रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त करावे। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.07.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खरेश में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner